**अपील क्रमांक 214 / बो.प्र. / नि.स. / 2025 /**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)**
**जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़**
**शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,**
**नवा रायपुर, अटल नगर**

**दिनांक    / 03 / 2025**

**अपील प्रकरण क्रमांक 214 / बो.प्र. / नि.सहा. / 2025**

| **अपीलार्थी** | | **उत्तरवादी** |
|---|---|---|
| श्री विनोद कुमार,<br>ब्लॉक 3 / एच. स्ट्रीट 38,<br>जोन 2, सेक्टर 11, खुरसीपार, भिलाई,<br>जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन–490011<br>मो.नं. 8770632668 | **विरूद्ध** | श्री रविकांत साहू<br>जनसूचना अधिकारी,<br>कार्यालय प्रमुख अभियंता,<br>जल संसाधन विभाग,<br>नवा रायपुर (छ.ग.) |

**आदेश दिनांक 12.03.2025**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री विनोद कुमार द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 2202501315918 दिनांक 02.03.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 12.03.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक / अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "जलसंसाधन (विद्युत / यांत्रिकी) विभाग में 31 / 12 / 24 की स्थिति में कार्यरत निःशक्तजन उप अभियंताओं (विद्युत / यांत्रिकी) की नामवार सूची जिसमें निःशक्तता के प्रकार (दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित / अस्थि बाधित) इंकित हो प्रदाय किये जाने" हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आनलाईन आवेदन क्रं 220250131005918 दिनांक 31.01.2025 को प्रस्तुत किया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 2202501315918 दिनांक 02.03.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दि.12.03.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 12.03.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी संधारित करने में असमर्थता से असंतुष्ट। उच्च कार्यालय जहाँ से अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जानकारी मिलना संभावित है, इस तर्क के साथ प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक / अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220250131005918 दिनांक 31.01.2025 जनसूचना प्रकोष्ठ को दिनांक 31.01.2025 प्राप्त हुआ। जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 18.02.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि जल संसाधन विभागमें 31.12.2024 की स्थिति में निःशक्तजन उप अभियंताओं (विद्युत / यांत्रिकी) की दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित की नामवार सूची, जिसमें निःशक्तता के प्रकार अंकित हो से संबंधित जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275 / 34 / छ.ग. / 2025 / 1677, दिनांक 24.02.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है? छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के परिपेक्ष्य में निःशक्त/विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द उपयोग करने संबंधी निर्देश के परिपेक्ष्य में इस अपील के निराकरण में दिव्यांग शब्द का उपयोग किया जा रहा है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिये गये जवाब में लिखित यह तथ्य सही है कि विभाग द्वारा 31.12.2024 की स्थिति में कार्यरत शासकीय सेवकों का पृथक से रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता और ना ही पृथक से दिव्यांगता के आधार पर पदक्रम सूची तैयार की जाती है। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 अप्रेल की स्थिति में हर संवर्ग की पदवार पदक्रम सूची जारी की जाती है, लोक प्राधिकारी के कार्यालय में वह रिकार्ड संधारित होता है।

6. प्रकरण का न्याय संगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी "जल संसाधन (विद्युत/यांत्रिकी) विभागमें 31/12/24 की स्थिति में कार्यरत दिव्यांगजन उप अभियंताओं (विद्युत/यांत्रिकी) की नामवार सूची जिसमें निःशक्तता के प्रकार (दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/अस्थि बाधित) इंकित हो प्रदाय किये जाने" के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in में उपलब्ध विभाग द्वारा जारी" **दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) की प्रावधानिक पद क्रमसूची"** का अवलोकन किये जाने पर पाया गया विभाग में जो उप अभिंयता दिव्यांग हैं, उनकी जानकारी दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में कार्यरत उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) की जानकारी के कालम क्रमांक 4 में दर्शित है, किन्तु किस दिव्यांगता यथा दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/अस्थि बाधित अथवा अन्य प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं, यह जानकारी पदक्रम सूची में दर्शित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के निराकरण करने के लिये जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुसार लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जानकारी जिस रूप में संधारित है, उसे उसी रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदक द्वारा वांछित जानकारी तैयार कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी/आवेदक को उसके आवेदन में वांछित जानकारी के रूप में विभाग द्वारा जारी दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) की प्रावधानिक पदक्रम सूची उपलब्ध करायी जा सकती है, जिसके अध्ययन से वे विभाग में कार्यरत दिव्यांगजन उपअभियंता की जानकारी देख सकते हैं।

7. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

1. **अपीलार्थी के आवेदन में वांछित "जल संसाधन (विद्युत/यांत्रिकी) विभागमें 31/12/24 की स्थिति में कार्यरत दिव्यांगजन उपअभियंताओं (विद्युत/यांत्रिकी) की नामवार सूची जिसमें निःशक्तता के प्रकार (दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/अस्थि बाधित) इंकित हो" से संबंधित जानकारी इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा 30 दिनों में आवेदन का निराकरण कियेजाने के कारण अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत है।**

.........3

2 **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के प्रावधानों के तहत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश के अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.cgwrd.in पर अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित जानकारी का आंशिक भाग विभागीय वेबसाइट में विभाग द्वारा जारी "दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) की प्रावधानिक पद क्रमसूची" 12 पृष्ठों में समाहित है, जिसे आवेदक आनलाइन** http://www.cgwrd.in/organisation/ gradation-list **का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त दस्तावेज की भौतिक रूप से सत्यापित प्रति वांछित होने पर आवेदक, 12 पृष्ठों हेतु दस्तावेज शुल्क के रूपमें 2/– रूपये प्रतिपेज की दर से कुल 24/– रूपये कार्यालय में जमाकर प्राप्त कर सकते हैं।**

**प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।**

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-
**(आलोक कुमार अग्रवाल)**
**अधीक्षण अभियंता (बोधी)**
**एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ**
**नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**

**पृ.क्रं./214/बो.प्र./नि.स./2025/2467** **नवा रायपुर, दिनांक 17/03/2025**

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री विनोद कुमार, ब्लॉक 3/एच. स्ट्रीट 38, जोन 2, सेक्टर 11, खुरसीपार, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन–490011 मो.नं. 8770632668 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

**अधीक्षण अभियंता (बोधी)**
**एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,**
**कार्यालय प्रमुख अभियंता,**
**जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ**
**नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)**